न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,संख्या–01, केकड़ी. (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – रमेश कुमार करोल (आर.जे.एस.)

आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या – 240/2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 433/2021

सी.आई.एस. संख्या – 601/2019

राजस्थान राज्य

–अभियोजन

बनाम

देवराज पुत्र रामकिशन निवासी निमोद, पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:

1. अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।

2. श्री सांवरलाल चौधरी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

निर्णय दिनांक– 13 मार्च, 2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी हेमराज ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना केकड़ी के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 10.07.21 को उसके चाचा के लड़के बनवारी मेवदाकलां से आगे देवलिया रोड़ की तरफ बाबा रामदेव मंदिर के पास अपने खेत के पास अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा था कि केकड़ी की तरफ से एक वाहन बस संख्या आर जे 06 पी.ए. 1697 का वाहन चालक तेजगति व गफल्त से चलाता हुआ आया एवं उसके चचेरे भाई के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई के हाथ, पैर, कमर, सीने पर, सिर में व शरीर के विभिन्न अंगों पर चोट आई। उक्त दुर्घटना शाम के पांच–साढ़े पांच बजे हुई थी...आदि।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 433/21 दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के

विरूद्ध उक्त धाराओ के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. का आरोप सार मौखिक रूप् से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर अपराध अस्वीकार कर दिया एवं अन्वीक्षा चाही। एतद्द्वारा पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के लिए नियत की गई।

4. दौराने साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.ड. 1 घीसालाल, गवाह पी.ड. 2 हेमराज, गवाह पी.ड. 3 बुद्धिप्रकाश, गवाह पी.ड. 4 प्रवीण, पी.ड. 5 रामराज, पी.ड. 6 डॉ. मुंशीलाल, पी.ड. 7 बनवारी, पी.ड. 8 डॉ. राजेश कुमार को न्यायालय में पेश कर परीक्षित करवाया एवं बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–01 लगायत प्रदर्श पी– 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

6. **न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि:–**

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2021 को समय शाम के करीब पांच–साढ़े पांच बजे स्थान स्थान सरहद मेवदाकलां पर वाहन बस संख्या आर जे 06 पीए 1697 को लोक मार्ग पर अत्याधिक तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन का चालन करते हुए परिवादी का चाचा का लड़का बनवारी, जो मोटरसाइकिल के पास खड़ा था, के टक्कर मारी, जिससे उसके गंभीर चोटें कारित हुई ?

2. यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

7. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 08 गवाहों को पेश कर परीक्षित कराया गया है। जिनमें से गवाह पी.ड. 1 घीसालाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.07.2021 की समय शाम के करीब साढ़े पांच बजे की बात है उस दिन वह एवं बुद्धिप्रकाश दोनों चौसला कॉलोनी की तरफ से मेवदा कलां घर पर आ रहे थे। जब बाईपास मेवदा कलां रामदेवजी के मंदिर के पास पहुंचे तो वहा पर बनवारी बैरवा अपनी मोटरसाइकिल आरजे 46 एससी 1367 को लेकर

रोड के किनारे साइड में खड़ा हुआ था तभी मेवदा कलां की तरफ से एक बस आरजे 06 पीए 1697 का चालक बस को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व साइड में खड़े बनवारी के टक्कर मार दी जिससे बनवारी के हाथ, पैर, कमर, सिर व शरीर पर चोटें आई थी। उक्त घटना उनके सामने हुई थी जो देखी थी। मौके से बनवारी को एंबुलेंस 108 से केकडी अस्पताल लेकर आए थे। उक्त दुर्घटना बस के चालक की गलती से हुई थी। मौके पर ही बस के नंबर देख लिए थे। प्रदर्श पी 01 नक्शा मौका घटना स्थल है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 03 नक्शा मौका पुलिस ने घटना स्थल पर घटना के दूसरे दिन शाम के करीब साढ़े पांच बजे बनाया था। तब वह वहां मोजूद था तब उसने प्रदर्श पी 01 पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 01 की कार्यवाही के समय मैं, हेमराज व बुद्धिप्रकाश वहां पर मौजूद थे। इस दुर्घटना में बनवारी की मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। बचाव पक्ष की जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसे किसी ने बताया हो कि बस किस दिशा से आ रही थी व लड़का किस दिशा में जा रहा था अजखुद कहा कि वह मौके पर ही मौजूद था। मोटरसाइकिल साइड में रामदेव मंदिर के पास खड़ी थी। उसने देखा कि दुर्घटना में सिर, घुटने में चोट आई।

8. गवाह पी.ड. 02 हेमराज ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.07.2021 की समय शाम के करीब पांच साढे पांच बजे की बात है। मेरे चाचा का लडका बनवारी मेवदा कला से आगे देवलिया रोड की तरफ रामदेवजी के मंदिर के पास अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा हुआ था तभी केकड़ी की तरफ से एक बस नंबर 1697 थे, का चालक उसे तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व बनवारी के टक्कर मार दी जिससे बनवारी के हाथ, पैर, कमर व शरीर पर चोटें आई व उसके बाए हाथ में फैक्चर हो गया। उक्त दुर्घटना उसने देखी थी। घटना स्थल के पास ही उसका मकान है। घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज करवाई थी जो प्रदर्श पी 04 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मौके से बनवारी को अस्पताल लेकर गए थे। प्रदर्श पी 01 नक्शा मौका घटना स्थल है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 1 नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन शाम के समय पाच साढे पांच बजे पुलिस ने बनाया था तब वह वहां मौजूद था तब उसने प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 01 की कार्यवाही के समय घीसालाल व बुद्धिप्रकाश भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने उसके बयान लिए थे।

9. गवाह पी.ड. 03 बुद्धिप्रकाश ने अपने बयानों में कथन किया है कि बयानों की दिनांक से करीब साढ़े तीन साल पहले की समय शाम के करीब पांच साढे पांच बजे की बात है। उस दिन बनवारी मेवदा कला से आगे देवलिया रोड की तरफ रामदेवजी के मंदिर के पास अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा हुआ था तभी केकड़ी की तरफ से एक बस नंबर 1697 थे, का चालक उसे तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया व बनवारी के टक्कर मार दी जिससे बनवारी के हाथ, पैर, कमर व शरीर पर चोटें आई व उसके बांए हाथ में फ्रेक्चर हो गया। उक्त दुर्घटना उसने देखी थी। घटना के समय मौके पर वह, प्रवीण व हेमराज वहां पर मौजूद थे। प्रदर्श पी 01 नक्शा मौका घटना स्थल है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 1 नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन शाम के समय पांच साढे पांच बजे पुलिस ने बनाया था तब वह वहां मौजूद था तब मैंने प्रदर्श पी पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी 01 की कार्यवाही के समय घीसालाल व प्रवीण, हेमराज भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने मेरे बयान लिए थे।

10. गवाह पी.ड. 04 प्रवीण ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 10.07.21 को समय शाम के करीब पांच साढ़े पांच बजे बनवारी मेवदाकला से आगे देवलिया रोड की तरफ रामदेव मंदिर के पास अपनी मोटरसाइकिल पर खड़ा था तभी केकड़ी की तरफ से बस संख्या 1697 का चालक उसे तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और बनवारी के टक्कर मार दी, जिससे उसके फ्रेक्चर आ गया था। उक्त दुर्घटना उसने देखी थी। गवाह पी.ड. 05 रामराज ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 18.10.21 को थाना केकड़ी पर कानि. के पद पर रहते हुए मु.नं. 433/21 में दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल संख्या आर जे 01 एसजी 7163 का उसके व बनवारी के समक्ष निरीक्षण किया एवं फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी 06 एवं फर्द जब्ती प्रदर्श पी 07 है।

11. गवाह पी.ड. 06 डॉ. मुंशीलाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 12.07.2021 को राजकीय चिकित्सालय केकड़ी के पद पर रेडियोलोजिस्ट के पद पर था। उस दिन राजेश कुमार जाट के निवेदन पर मजरूब बनवारी के हाथ का एक्सरे प्रदर्श पी 08 करवाया एवं प्रदर्श पी 09 रिपोर्ट तैयार की, जिसके अस्थिभंग था। गवाह पी.ड. 07 बनवारी ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 10.07.2021 को समय करीब साढ़े पांच बजे वह मेवदाकलां स्थित बाबा रामदेव मंदिर के सामने सड़क की साइड में अपनी मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था तभी केकड़ी की तरफ से एक बस को उसका ड्राइवर तेजगति व लापरवाही से चलाता

हुआ आया और उसके सड़क के किनारे खड़े के टक्कर मारी जिससे उसके चोटें आई। उक्त बस के नम्बर आर जे 06 पीए 1697 थे जिसका चालक देवराज खाती थी। वह उक्त बस को उक्त रूट पर चलाता है इसलिये वह पहचानता है। पास में खड़े प्रवीण, घीसालाल, हेमराज ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल प्रदर्श पी 10 है। उक्त दुर्घटना से उसके फ्रेक्चर हो गया था। मुचलका व जमानत प्रदर्श पी 11 एवं फर्द निरीक्षण दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 06 है। गवाह पी.ड. 08 डॉ. राजेश कुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.07.21 को राजकीय चिकित्सालय केकड़ी में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर था। उस दिन हेड कानि. बलवंत द्वारा मजरूब बनवारी को वास्ते मेडिकल मुआयना पेश किया, जिसकी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10, एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। मजरूब के चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी।

12. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा विभिन्न साक्षियों की साक्ष्य एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता के अनुसार ''जो कोई किसी लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलायेगा या सवार होकर हांकेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये या किसी अन्य व्यक्ति को साधारण व घोर उपहतियां कारित करना'' इस संबंध में न्यायालय के समक्ष यह स्थिति प्रकट आती है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह/आहत बनवारी पी.ड. 07 ने अपने बयानों में दिनांक 10.07.2021 को मेवदाकलां स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पास साइड में मोटरसाइकिल लेकर खड़े रहने एवं इस दौरान आरोपित बस संख्या आर जे 06 पीए 1697 के चालक द्वारा वाहन बस को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर किनारे खड़े उसके टक्कर मारने एवं उक्त दुर्घटना से उसके शरीर पर चोटें कारित होने बाबत कथन किया गया है। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 02 हेमराज, जो कि प्रकरण में परिवादी है, ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 एवं गवाह पी.ड. 07 बनवारी के कथनों की ताईद करते हुए दिनांक 10.07.2021 को शाम के समय उसके चाचा के लड़के बनवारी मेवदाकलां के पास बाबा रामदेव मंदिर के पास खड़े रहने एवं केकड़ी की तरफ से वाहन बस 1697 को लापरवाही से

चलाने एवं उसके चाचा के लड़के बनवारी के टक्कर मारने, जिससे उसके चोटें आने का कथन किया गया है।

13. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी गवाह पी.ड. 01 घीसालाल, पी.ड. 03 बुद्धिप्रकाश एवं पी.ड. 04 प्रवीण ने भी अपनी साक्ष्य में दिनांक 10.07.2021 को शाम के करीब पांच–साढ़े पांच बजे बनवारी के मेवदाकला से आगे देवलिया रोड़ की तरफ रामदेव मंदिर के पास मोटरसाइकिल के पास खड़े रहने एवं उस दौरान वाहन बस संख्या 1697 के चालक द्वारा उसे तेजगति, उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाते हुए बनवारी के टक्कर मारने, जिससे बनवारी के साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित होने का कथन किया गया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य का भी अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 08 डॉ राजेश कुमार द्वारा मजरूब बनवारी के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया गया एवं चोट प्रतिवेदन मुर्तिब किया गया एवं 06 डॉ. मुंशीलाल द्वारा आहत बनवारी के शरीर पर आई चोट का एक्सरे किया गया, जिनके अनुसार मजरूब के आई चोट प्रदर्श पी 08 के आधार पर अस्थिभंग होना पाया गया।

14. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित समस्त गवाहों ने अपने बयानों में एक समान उक्त घटना की ताईद करते हुए वाहन बस संख्या आर जे 06 पीए 1697 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चालन किया, जिसके परिणामस्वरूप बनवारी को टक्कर मार दी, जिससे उसके साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई। बचाव पक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे की अभियोजन कहानी का खंडन होता हो।

15. अतः अभियोजन पक्ष इस बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10.07.2021 को समय शाम के करीब पांच–साढ़े पांच बजे स्थान स्थान सरहद मेवदाकलां पर वाहन बस संख्या आर जे 06 पीए 1697 को लोक मार्ग पर अत्याधिक तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन का चालन करते हुए परिवादी का चाचा का लड़का बनवारी, जो मोटरसाइकिल के पास खड़ा था, के टक्कर मारी, जिससे उसके गंभीर चोटें कारित हुई ।

16. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में अभियुक्त पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

17. अतः अभियुक्त **देवराज पुत्र रामकिशन निवासी निमोद, पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर** को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

(रमेश कुमार करोल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01
केकडी जिला अजमेर

18. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। अतः अभियुक्त के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परीवीक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान् अभियोजन अधिकारी द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हुए अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

19. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन किया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थतियों तथा अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध के लिए तुरन्त कारावास के दंड से दंडित करने के बजाय परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

20. अतः अभियुक्त **देवराज पुत्र रामकिशन निवासी निमोद, पुलिस थाना केकड़ी जिला अजमेर** को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे परिवीक्षा अधिनियम की 1958 की धारा 4(1) का लाभ देते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि, यदि अभियुक्त छह माह की अवधि हेतु 10,000/– रूपये का स्वयं का मुचलका इस आशय का प्रस्तुत करे कि वह शांति एवं सदाचार बनाये रखेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर सजा भुगताने हेतु तत्पर रहेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में 1000/–रूपये जमा कराये जाने के आदेश भी दिये जाते है। अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 12 का लाभ इस आशय से दिया जाता है कि, अभियुक्त को दिये दण्ड से उसके भविष्य पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं अभियुक्त

किसी निर्हता से ग्रस्त नहीं होगा। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(रमेश कुमार करोल)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01

केकडी जिला अजमेर

21. निर्णय आज दिनांक **13 मार्च, 2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(रमेश कुमार करोल)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01

केकडी जिला अजमेर